सत्यमेव जयते

कोरोना से संघर्ष की घड़ी में हर कदम पर जनता के साथ

मध्यप्रदेश शासन

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना

- लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को अगले तीन महीनों के दौरान मौजूदा निर्धारित अनाज के मुकाबले दोगुना अन्न दिया जाएगा। यह अतिरिक्त अनाज मुफ्त में मिलेगा।
- 80 करोड़ गरीबों को अगले तीन महीनों के दौरान क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल नि:शुल्क दी जाएगी।

किसानों की मदद

- प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8.7 करोड़ किसानों को 2020-21 में देय 2,000 रुपये की पहली किस्त अप्रैल 2020 में ही खाते में डाल दी जाएगी।

गरीबों की मदद

- प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कुल लगभग 20 करोड़ महिला खाताधारकों को अगले तीन महीनों के दौरान प्रति माह 500 रुपये की अनुग्रह राशि का उनके खातों में अंतरण किया जाएगा। अगले तीन महीनों में 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएँगे।

संगठित क्षेत्रों में कम पारिश्रमिक पाने वालों की मदद

- 100 से कम कामगारों वाले प्रतिष्ठानों में प्रति माह 15,000 रुपये से कम पारिश्रमिक पाने वालों के पीएफ खातों में उनके मासिक पारिश्रमिक का 24% भुगतान आगामी 3 माह के दौरान किया जाएगा।

वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए सहायता

- लगभग 3 करोड़ गरीब वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांग श्रेणी के हितग्राहियों को अगले 3 माह के दौरान 1,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

मनरेगा

- 1 अप्रैल, 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी की जाएगी। इससे लगभग 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।

स्वयं सहायता समूह

- 63 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को जमानत (कोलैटरल) मुक्त ऋण देने की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी।

कोरोना फाइटर्स का बीमा

- सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 से लड़ने वाले लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपये की बीमा योजना।

वित्तीय सेवाएँ

- आयकर रिटर्न (वित्त वर्ष 2018-19) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी गई।
- डेबिट कार्डधारक 3 माह तक किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से नकदी नि:शुल्क निकाल सकेंगे।
- न्यूनतम बैलेंस शुल्क माफ।
- सभी व्यापार वित्त उपभोक्ताओं हेतु डिजिटल लेन-देन के लिए बैंक शुल्क घटाए गए।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उठाये जा रहे जनकल्याणकारी कदम...

गरीब वर्गों की मदद

- सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा अवस्था पेंशन और निराश्रित पेंशन के 46 लाख हितग्राहियों को 600 रुपये प्रतिमाह की दर से दो माह का 275 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान।
- संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत मजदूरों को प्रति मजदूर 1000 रुपए के हिसाब से सहायता।
- सहरिया, बैगा और भारिया जनजातियों के परिवारों के खातों में 1000 रुपये प्रति माह की दर से दो माह की राशि का अग्रिम भुगतान।
- मध्यान्ह भोजन के लिये 87.49 लाख विद्यार्थियों के खाते में 156 करोड़ रुपये की राशि का वितरण।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को 1 माह का राशन नि:शुल्क दिया जाएगा।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 3 माह के राशन का अग्रिम वितरण प्रारंभ।

उपचार

- कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर शासकीय हॉस्पिटल/मेडिकल कॉलेज में नि:शुल्क इलाज। चिन्हित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज/प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सभी वर्गों के लिए उपलब्ध रहेगा नि:शुल्क इलाज।
- जिन मरीजों को सामान्य सर्दी-खाँसी और बुखार है, उन्हें जांच के बाद समाधान होने पर घर में ही दवा पहुँचाने के प्रयास।
- ग्राम पंचायतों में पंच-परमेश्वर योजना की प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि को कोरोना के नियंत्रण तथा लॉकडाउन के कारण लोगों के भोजन/आश्रय की व्यवस्था की जरूरत पर खर्च करने की अनुमति।
- विदेश से आने वाले एवं अन्य राज्यों से यात्रा कर आये नागरिकों/यात्रियों की शत प्रतिशत पहचान एवं स्क्रीनिंग करने के निर्देश।
- गंभीर बीमारी, निधन और डिलेवरी प्रकरण में परिवार और अस्पताल तक पहुँचाने की आवश्यक अनुमति देने के लिये जिला प्रशासन को निर्देश।

आवश्यक वस्तुएँ

- रोजमर्रा की जरूरी चीजें दूध, फल, सब्जी, किराना, दवाइयाँ आदि की दुकानें, पेट्रोल पंप, रसोई गैस सेंटर यथावत खुले रखने के निर्देश तथा सभी आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने के निर्देश।
- प्रदेश में माल परिवहन के निर्बाध संचालन के निर्देश।
- आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी व मुनाफाखोरी की शिकायतों पर कठोर कार्यवाही के निर्देश।
- होम डिलेवरी, टेक होम एवं कोरियर सुविधाएँ चालू रखने के आदेश।

किसान

- फसल कटाई में लगे मजदूरों एवं हार्वेस्टर्स के निर्बाध परिवहन के आदेश ताकि फसल कटाई प्रभावित ना हो।
- प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2020-21 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन एक अप्रैल 2020 से प्रारम्भ किया जाएगा।

अपील

- मुख्यमंत्री सहायता कोष स्टेट बैंक के खाता क्रमांक 10078152483 (IFSC कोड SBIN 0001056) में आर्थिक सहयोग प्रदान करने की अपील।

✻ जिन विषयों पर केंद्र व राज्य सरकार ने समरूप निर्णय लिए हैं, उनका क्रियान्वयन दोनों के समन्वय से किया जाएगा।

हेल्प लाइन

कोरोना से संबंधित चिकित्सा सहायता, दवाई, आवश्यक वस्तुएँ, भोजन, दूध, सब्जियाँ, गैस, परिवहन, सफाई और सेनीटेशन आपूर्ति सहित नगर पालिका संबंधी सेवाओं के लिए व्हाट्सएप नंबर 8989011180, हेल्प लाइन नम्बर 104, 181 और 1100 तथा फोन नं. 0755-2411180 पर फ़ोन कर मदद प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के जो लोग दूसरे प्रदेशों में फँसे हैं, वह भी इन नंबरों पर संपर्क कर सहायता ले सकते हैं। मध्यप्रदेश में मज़दूर साथियों के भोजन, राशन और अत्यावश्यक सामग्री की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसके लिये 0755-2708030, 0755-2708003 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा घटाएं ये सरल उपाय अपनाएं

नियमित रूप से साबुन और पानी से 20 सेकण्ड तक हाथ धोएं

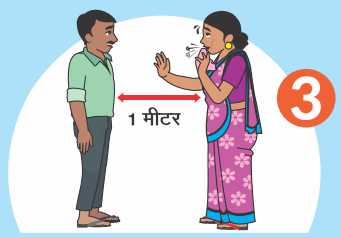

खाँसते या छींकते समय नाक और मुँह किसी कपड़े या कोहनी से ढकें

जिस व्यक्ति में खाँसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हों उससे दूरी बनाएं

अगर खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें